नाप / 14 / 1385 ...डल, जयपुर) ...., जयपुर। 583

दिनांक :– 13/1/14

अवार्ड

विषयः–केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में कुल रकबा 67.72 हैक्टेयर का अवार्ड जारी करने बाबत।

सन्दर्भः–अधिसूचना क्रमांक प.7(16)न.वि.वि./III/06 दिनांक 09.10.09

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में कुल रकबा 67.72 हैक्टेयर के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.10.09 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त अधिसूचना का 15.10.09 को राजस्थान राज–पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 03.05.10 एवं 25.06.10 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाए गये जिनकी तामीली की अन्तिम दिनांक 01.07.10 अंकित की गयी है। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा ''दैनिक नवज्योति'' व ''हुक्मनामा समाचार'' जयपुर में दिनांक 22.04.10 को प्रकाशन करवाया गया। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 01.07.10 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में विशेषाधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण दिनांक 11.05.11 को आवासीय अभियंता व हल्का पटवारी के साथ किया गया जिसमें धारा 4(1) के समय प्राप्त सभी आपत्तियों निस्तारण कर धारा 5ए के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.11 को राज्य सरकार को प्रेषित की गई जिसमें कुल 67.72 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 11.07.11 को 67.72 हैक्टेयर की जारी की गयी जिसका राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में 14.07.11 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों में 'राजस्थान पत्रिका'' व ''दैनिक भास्कर'' में दिनांक 15.08.11 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 15.09.11 एवं 06.02.12 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये। इस प्रकार तामीली की अन्तिम दिनांक 21.02.12 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के नोटिस दिनांक 05.12.11 को एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 10.07.12 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में खसरा नं. 5514 से 5523, 7354/12079, 5627 से 5630, 5633, 5641, 5644, 5645, 5646 एवं 5621 के कास्तगारो/हितधारियो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थियों को 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटित किया जावे।

मण्डल को पत्र दिनांक 08.01.13 द्वारा खातेदारों से प्राप्त 25 प्रतिशत विकसित भूमि के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार मण्डल द्वारा गठित समिति की अनुशंसा भिजवाने हेतु सूचित किया गया। इसके प्रत्युत्तर में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने पत्र

दिनांक 24.09.13 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त खसरा नम्बरों में 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड चाहने वाले
काश्तकारों/हितधारियों को भूखण्ड दिए जाने से मण्डल सिद्धान्त: सहमत है तथा अवार्ड जारी करने का
अनुरोध किया।

प्रभारी अधिकारी एवं आवासीय अभियंता, राज. आवासन मण्डल, खण्ड–तृतीय, जयपुर ने पत्र दिनांक
20.09.13 एवं 16.12.13 द्वारा अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन निम्न
आठ प्रकरणों के अन्तर्गत दिनांक 01.08.13 को निर्णय पारित किया गया कि जिसमें याचिकाकर्ताओं की भूमि
के लिए धारा 6 की अधिसूचना को अमान्य मानते हुए अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है तथा आदेश प्रदान
किए की उक्त भूमि के लिए यदि राज्य सरकार चाहे तो पुनः अवाप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकती है। इसी
प्रकार एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं0 15827/2011 के अन्तर्गत भी दिनांक 12.09.13 को निर्णय दिनांक 01.
08.13 के अन्तर्गत समाहित किया है। प्रकरण में मण्डल ने उक्त आदेश के विरूद्ध खण्ड–पीठ राज. उच्च
न्यायालय में अपील दायर की है जो विचाराधीन है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की
अनुपालना में निम्न प्रकरणों के अन्तर्गत याचिकाकर्ताओं से सम्बन्धित भूमि का अवार्ड नहीं किया जा रहा है।

क्र. सं.	याचिका संख्या	प्रार्थी	प्रभावित	
			खसरा	कुल रकबा हैक्टे. में
1.	S.B.C.W.P. 13497/2012	गुल्ली देवी बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	5654, 5655, 5661 से 5665	1.17
2.	S.B.C.W.P.. 11947/2011	सुगन्ध लेण्ड डवलर्स कम्पनी लि. बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	5467 से 5513, 6354/12076	6.96
3.	S.B.C.W.P. 10116/2011	सुगन्ध लेण्ड डवलर्स कम्पनी लि. बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य		
4.	S.B.C.W.P. 14464/2011	मै. कमल उद्योग बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	5421, 5422	0.18
5.	S.B.C.W.P. 7810/2012	डॉ. राशि अग्रवाल बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	5420, 5425 से 5434, 5436 से 5442, 5626, 5631, 5632, 5634 से 5636, 5642, 5643	0.10
6.	S.B.C.W.P. 13414/2012	शहजाद खान बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	5420, 5425 से 5442, 5626, 5631, 5632, 5634 से 5636, 5642, 5643 = 5.01 हैक्टे. 7/12 = 2.92–0.10=2.82 हैक्टे. 5419 – 3.27 का 3/4 = 2.45	5.27
7.	S.B.C.W.P. 3415/2012	बद्रीनारायण व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	5657 से 5660	1.36
8.	S.B.C.W.P. 13416/2012	श्रीमती उषा जैन व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	5423, 5424	0.47
9.	S.B.C.W.P. 15827/2011	महेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य	1. 5444 से 5456 5445 से 5462, 5426, 5623/12075, 5457/1206 (5.76 है. 2/3) = 3.84 2. 5410/12269, 5411/12270, 5409/12281, 5408, 5410, 5409/12268 = 1.73 हैक्टे. 3. 5400, 5401, 5419/12241,	15.51

			5420 / 12242, 5407 / 12275, = 2.20 हैक्टे. 4. 5412 से 5418, 5409 / 12274, 5409 / 12273 = 4.58 हैक्टे. 5. 5409, 5411, 5410 / 12271, 5416 / 12272 = 2.06 हैक्टे. 6. 5397, 5398, 5399, 5350 / 12071, 5421 / 12284 = 1.10 हैक्टे.	
			कुल योग	**33.04**

धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	**काश्तकार का नाम, पिता जाति तथा निवास स्थान पता सहित तथा कृषिकाल**	**खसरा नम्बर**	**क्षेत्रफल**	**भूमि का विवरण**	**विशेष विवरण**
1	2	3	4	5	6
1	सिवायचक लगानी	5405 5466	0.09 0.21	बंजड़े बारानी–1	
2	नगरपालिका, चाकसू	5525 5464 5465	0.13 0.65 0.04	गै.मु.नहर गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता	
3	अजीज, मजीद, शहजाद पिता अब्दुल्ला खां हि. 1/4, मसीद खां पुत्र महताब खां हि. 1/3 राहिन ज.जि.स.ह. भू.वि. बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन। बुन्दु खां पुत्र अब्दुल खां हि. 1/4, भूरी पत्नी गुलशेर खां, दिलशाद पिता गुलशेर खां हि. 1/12 ना.बा. संरक्षक भूरी माता खुद बिलारहन आलमशेर खां पुत्र छोटे खां हि. 1/12, राहिन आई.सी.आई.सी. आई. बैंक शाखा जयपुर मूर्तहीन जाति मुसलमान।	5419	3.27	बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13414/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अजीज, शहजाद पिता अब्दुल्ला खां हि. 2/12, मसीद खां पुत्र महताब खां हि. 1/3, बुन्दु खां पुत्र अब्दुल खां हि. 1/4 कुल प्रभावित हिस्सा 2.45 हैक्टेयर को अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
4	नगरपालिका चाकसू	5443	0.09	गै.मु. आबादी	
5	अजीज, मजीद, शहजाद पिता अब्दुल्ला खां हि. 1/4, मसीद खां पुत्र महताब खां हि. 1/3 राहिन ज.जि.स.ह. भू.वि. बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन। कल्लू खां पुत्र नजीर खां हि. 1/12, भूरी पत्नी गुलशेर, कल्लू खां, दिलशाद पिता गुलशेर खां हि. 1/12, बिलारहन मुन्नी बेगम पत्नी बुन्दु खां हि. 2340/50100 बशीर खां पुत्र छोटे खां हि. 1835/50100 जाति मुसलमान मूर्तहीन। बुन्दु	5420 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432	0.18 0.17 0.17 0.31 0.14 0.21 0.20 0.21 0.31	बारानी–2 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 7812/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में डॉ. राशि अग्रवाल का हिस्सा

	खां पुत्र अब्दुला हि. 1/12 राहिन भूमि विकास बैंक शाखा चाकसू मूर्तहीन आलमशेर खां पुत्र छोटे खां हि. 1/12 राहिन आई.सी.आई.सी.आई. जयपुर मूर्तहीन जाति मुसलमान सा. देह खातेदार। (5420, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5626, 5631, 5632, 5634, 5635, 5636, 5642, 5643, कुल किता 26 रकबा 4.95 हैक्टेयर हि. 1/4 दर हि. 1/3 में से) कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर डॉ. राशि अग्रवाल पत्नी श्री डॉ. विवेक अग्रवाल)	5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5626 5631 5632 5634 5635 5636 5642 5643	0.16 0.18 0.06 0.09 0.08 0.19 0.19 0.10 0.11 0.11 0.90 0.27 0.24 0.07 0.09 0.03 0.15 0.09	चाही–4 चाही–4 गै.मु.रास्ता चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 बंजड–1 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2	0.10 हैक्टे. एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13414/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अजीज, शहजाद पिता अब्दुल्ला खां हि. 2/12, मसीद खां पुत्र महताब खां हि. 1/3, बुन्दु खां पुत्र अब्दुल खां हि. 1/12 कुल प्रभावित हिस्सा 2.92–0.10=2.82 हैक्टेयर को अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
6	नगरपालिका चाकसू	5657	0.04	बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13415/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
7	श्रीमती धापू पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल, बिरदीचन्द, चन्दालाल, श्योराम, बद्रीनारायण पुत्रान स्व. श्री कन्हैयालाल	5658 5659 5660	0.53 0.46 0.33	नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2	
8	नगरपालिका चाकसू	5656 5666	0.07 0.13	नहरी–2 नहरी–2	
9	गुल्ली जोजे छिगन्या जाति माली सा. देह	5654 5655 5661 5662 5663 5664 5665	0.23 0.13 0.09 0.14 0.20 0.20 0.18	बारानी–2 बारानी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13497/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.08.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
10	आई.एस.एस. इंटरनेशनल लि. जरिए निदेशक महेश भारद्वाज	5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522	0.40 0.37 0.45 0.72 0.60 0.37 0.33 0.04 0.76	बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 गै.मु.चाह बारानी–2	

11	चन्दालाल पुत्र लखरा जाति माली सा. देह	5523 7354/12079	0.55 0.03	नहरी–2 बारानी–2	
12	प्रेमचन्द पुत्र मोतीलाल	5524 6354/12080	0.94 0.10	नहरी–2 बारानी–3	
13	हुक्मचन्द पुत्र मोतीलाल जाति महाजन	5463	0.17	बारानी–2	
14	ताराचन्द, प्रेमचन्द, हुकुमचन्द पि. मोतीलाल जाति महाजन हिस्सा बराबर खातेदार	5598 5622 5597	0.80 0.42 1.64	नहरी–2 बारानी–2 नहरी–2	
15	माधोसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह नि. 197, महाराणा प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर।	5621	0.60	नहरी–2	
16	रामधन पुत्र जगदीश नारायण माली 3/5 नत्थू पुत्र बजीर खौं 1/5, यूसूफ, याकूब, मंजूर पि. अब्दुला 1/5 नामा. सं. 285 दिनांक 10.01.01	3550/12072	0.21	गै.मु. सड़क	
17	रहीसा बानो पत्नी सदीक खां व नफीसा बानो पत्नि चांद खां हि. 1/5 वकीला पत्नी शहजाद हि. 4/25 भूरी पत्नी गुलशेर खां हि. 1/25 मुन्ना पत्नि अब्दुल मजीद हि. 4/25 जाति मुसलमान सा. देह बृजमोहन शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा जाति ब्राह्मण हि. 133/82000 नि. ए–2 आजाद नगर टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर व श्रीमती अनोखी देवी पत्नि रामेश्वर हि. 1507/82000 जाति महाजन सा. देह मुन्नी बेगम पत्नि बुन्दुखां हि. 1/5 जाति मुसलमान सा. देह।	5423 5424	0.39 0.43	बारानी–2 बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13416/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः रहीसा बानो पत्नी सदीक खां व नफीसा बानो पत्नि चांद खां हि. 1/5 वकीला पत्नी शहजाद हि. 4/25, श्रीमती अनोखी देवी पत्नि रामेश्वर के हिस्से से क्रय श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री दिनेश जैन व श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री सुकुमाल जैन का हि. हि. 120 वर्गमीटर, मुन्नी बेगम पत्नि बुन्दुखां हि. 1/5 कुल रकबा 0.47 हैक्टे. का अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
18	मानसी गुप्ता पुत्री महेश कुमार गुप्ता नि. ए–27, अम्बाबाड़ी, जयपुर।	5400 5401 5420/12242	0.25 0.17 0.06	बारानी–2 गै.मु.रास्ता बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी

					नहीं किया जा रहा है।
	नवनीत गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार नि. सी. 136, दयानन्द मार्ग तिलक नगर, जयपुर।	5419/ 12240	1.42	बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
20	महेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश गुप्ता हि. 2/3 जाति महाजन नि. ए–27, अम्बाबाड़ी जयपुर, इस्लाम हुसैन उम्र 15 साल पुत्र मदारी खां ना.बा. संरक्षक मदारी खां पुत्र खाजू खां हि. ब. हि. 1/3 जाति मुसलमान साकिन लुनियावास तह. सांगानेर	5444	0.09	गै.मु.रास्ता	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में महेश कुमार पुत्र वैद प्रकाश गुप्ता का हि. 2/3 कुल रकबा 3.84 हैक्टे. में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
		5445	0.16	चाही–3	
		5446	0.31	चाही–3	
		5447	0.34	चाही–3	
		5448	0.41	चाही–2	
		5449	0.32	चाही–3	
		5450	0.32	चाही–3	
		5451	0.10	गै.मु.चाह	
		5452	0.29	चाही–3	
		5453	0.42	चाही–3	
		5454	0.44	चाही–3	
		5455	0.30	चाही–3	
		5456	0.60	चाही–3	
		5457/ 12076	0.13	बंजड़–1	
		5458	0.07		
		5459	0.08	चाही–4	
		5460	0.15	चाही–4	
		5461	0.40	बारानी–2	
		5462	0.13	बारानी–2	
		5623/ 12073	0.08	बारानी–2 बारानी–2	
		5624	0.06	बंजड़–1	
		5625	0.56	नहरी–2	
21	भगवान सहाय रामनारायण गोपाल श्यामलाल पि. छोटू जाति माली सा. देह	5526	1.52	चाही–3	
		5527	0.20	गै.मु.नहर	
22	मानसी गुप्ता पुत्री महेश कुमार गुप्ता ए–27, अम्बाबाड़ी, जयपुर।	5409	0.74	बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
		5410/ 12271	0.38	नहरी–2 चाही–4	
		5411	0.74	चाही–4	
		5416/ 12272	0.20		
23	मैसर्स कमल उद्योग चाकसू	5421	0.10	औ. प्रयोजनार्थ	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन
		5422	0.08	औ.	

				प्रयोनार्थ	S.B.C.W.P. 14464/2011 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही की निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
24	राजेन्द्र पुत्र बसन्तलाल श्रीमती आशा पत्नि राजेन्द्र राहुल पुत्र राजेन्द्र जरिये बली राजेन्द्र जॉगिड रीशि पुत्र राजेन्द्र जॉगिड़ नि. जयपुर विनोद कुमार चिराती पुत्र जुगल किशोर द्वारिका डागा पुत्र रामकिशोर डागा नि. जयपुर अशोक गौड पुत्र नेमीचन्द गौड नि. जयपुर चन्द्रमोहन बिहानी पुत्र पन्नालाल शिवकान्त फतेहपुरिया पुत्र बनवारी लाल, कृष्णकान्त फतेहपुरिया पुत्र शिवनाथ, श्रीमती राजकुमारी बिहानी पत्नी चन्द्रमोहन नि. जयपुर हि. 1/4 मोहनलाल पि. रेवडमल हि. 1/4 जाति महाजन सा. जमवा रामगढ़ राजकुमार पुत्र दौलतराम हि. 1/4 नवदीप गुप्ता पुत्र राजकुमार हि. 1/4 जाति महाजन नि. ए–1, सेठी कॉलोनी, जयपुर।	5402	0.14	गै.मु.नाला	
25	राममनोहर पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राहम्ण नि. 376, रामनगर शान्ति नगर, जयपुर।	5596	0.04	गै.मु. नहर	
26	लोकेन्द्र अग्रवाल पुत्र वाई.पी. अग्रवाल नि. 37 कान्तिनगर, श्रीमती लीला अग्रवाल पत्नी जी. पी. अग्रवाल नि. 36, कान्ति नगर, जयपुर जितेन्द्र ढड्डा पुत्र पी.डी. ढड्डा नि. 209, हिमालया 109 बरली सी कर्ज रोड बरली मुम्बई 18, अमित गोयल पु.एन.के. गोयल जरिये वलि श्री ए.के. गोयल नरेश गोयल पु. सी.एम. गोयल नि. शोरूम 5 ट्रान्सपोर्ट नगर, जयपुर पारसमल लोढा पुत्र श्री बी.एन. लोढा नि. 7 वलि गार्डन म्यूजियम रोड, जयपुर ब. बहि.ब.	5406 5407	1.18 0.34	नहरी–2 बारानी–2	
27	मानसी गुप्ता पुत्री महेश कुमार गुप्ता ए–27, अम्बाबाड़ी, जयपुर।	5409/12281 5410/12269 5411/12270	0.33 0.40 0.24	बारानी–2 नहरी–2 चाही–4	माननीय उच्च न्यायालय में S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
28	लाला, छोटूराम, रामफूल पिता भागीरथ, चौथी बेवा भागीरथ हि. 1/4, आसाराम पुत्र शंकर गर्री बेवा शंकर हि. 1/12, छिगन्या पुत्र रामप्रताप, हि. 1/3, कालू पुत्र रामनारायण हि. 1/6 हनुमान पुत्र रामनारायण हि. 1/6	5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 5474	0.23 0.26 0.29 0.16 0.15 0.20 0.19 0.33	बारानी–1 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 11947/2011 के अन्तर्गत दिनांक 1.08.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही की निरस्त

		5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496	0.24 0.13 0.17 0.15 0.16 0.14 0.05 0.05 0.07 0.05 0.11 0.04 0.02 0.12 0.13 0.14 0.33 0.27 0.16 0.14 0.13 0.19	बारानी–2 चाही–4 गै.मु.आबादी चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 गै.मु.चाह चाही–4 चाही–4 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4	की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
29	नगरपालिका चाकसू	5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513	0.73 0.11 0.11 0.11 0.12 0.25 0.26 0.06 0.52 0.12 0.16 0.16 0.11 0.16 0.26 0.36 0.38	चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 बारानी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 10116/2011 एवं 11947/2011 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही की निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
30	हनुमान, कालू पिता रामनारायण हि. 1/3 हि. ब. लाला, छोटूराम रामफुल पिता भागीरथ हि. 1/4, आसाराम पिता शंकर गर्री बेवा शंकर हि. 1/12 छगनलाल पुत्र रामप्रताप हि. 1/6 जाति मीणा सा. देह।	6354/12078	0.20	बारानी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 10116/2011 एवं 11947/2011 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही की निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

	राममनोहर पुत्र रामावतार शर्मा नि. 376, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर।	5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653	0.26 0.37 0.51 0.30 0.32 0.04 0.51	चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 चाही–4 गै.मु.चाह चाही–4	
2	सुरेश कुमार पुत्र आसी सचेरी नि. 1701, मिडटाउन अपार्टमेण्ट केम्पाकोला कम्पाउण्ड बी.जी. खरे रोड वर्ली मुम्बई श्रीमती शशि जैन पत्नि एम.के.जैन नि. 2472 रामगंज, जयपुर हि. 1/2 सा. देह। श्री बहादुर सोनी पुत्र श्री श्यामलाल सोनी नि. 30–31, महेश कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर, नरेश कुमार पंजाबी पुत्र श्री टेकचन्द पंजाबी नि. आदर्श नगर, जयपुर हिस्सा 1/2	5403 5404	0.28 0.64	गै.मु.रास्ता बारानी–2	
33	नगरपालिका चाकसू	5637	0.35	बारानी–2	
34	श्रीमती शकुन्तला देवी धर्मपत्नी हंसराज व श्रीमती अनिता देवी धर्मपत्नि गोविन्द घीया, सा. देह 486, गोविन्द राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।	5638 5639 5640	0.04 0.15 0.03	गै.मु. बारानी–2 गै.मु.रास्ता	
35	मानसी गुप्ता पुत्री महेश कुमार गुप्ता ए–27, अम्बाबाड़ी, जयपुर।	5408 5409/12268 5410	0.21 0.07 0.48	बारानी–2 बारानी–2 नहरी–2	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
36	आई.एस.एस. इंटरनेशनल लि. जरिए निदेशक महेश भारद्वाज	5627 5628 5629 5630 5633 5641 5644 5645 5646	0.52 0.04 0.16 0.09 0.09 0.31 0.47 0.54 0.17	नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 नहरी–2 गै.मु.रास्ता	
37	मानसी गुप्ता पुत्री महेश कुमार गुप्ता ए–27, अम्बाबाड़ी, जयपुर।	5350/12071 5397 5398 5399 5409/12273 5409/12274 5412 5413 5414 5415 5416 5417	0.30 0.08 0.60 0.08 1.38 0.24 0.11 0.37 0.03 0.34 0.56 0.46	गै.मु.सड़क गै.मु.रास्ता बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 बंजड़–1 चाही–4 गै.मु.चाह चाही–4 चाही–4 चाही–4	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

		5418 5421/ 12284	1.09 0.04	बारानी–2 बारानी–2	
	हीरानन्द पुत्र गुलचन्द रावजानी जाति सिन्धी नि. ए–3, साकेत कॉलोनी, जयपुर।	5427/ 12275	0.30	चाही–4	माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827/2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।
39	सार्वजनिक निर्माण विभाग	5350	7.04	गै.मु.सड़क	
40	सिंचाई विभाग	5457 5623 6354	0.40 0.83 0.80	गै.मु.नहर गै.मु.नहर गै.मु.नहर	
	किता	**200**	**67.72**		

प्रश्नगत भूमि के खसरा नं. 5423 व 5424 कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर के अन्तर्गत संवत् 2065 की जमाबंदी के अनुसार शाहिद अली पुत्र खुर्शीद अली हि. 1/25 का नाम अधिसूचना के भूमि विवरण में अंकित होने से रह गया। अतः राजस्व रिकार्ड के आधार पर खसरा नं. 5423 व 5424 में शाहिद अली पुत्र खुर्शीद अली हि. 1/25 का अंकन करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार अधिसूचना के भूमि विवरण में खसरा नं. 5350/12072 रकबा 0.21 के स्थान पर 3550/12072 रकबा 0.21 हैक्टे. अंकन हो गया। अतः राजस्व रिकाड के आधार पर खसरा नं. 3550/12072 के स्थान पर 5350/12072 का अंकित करने का निर्णय लिया गया।

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 09.10.09 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें व तकमीना मंगवाने हेतु पत्र दिनांक 01.05.13, 17.09.13 एवं 23.10.13 को सूचित किया गया। उप पंजीयक चाकसू द्वारा प्रेषित डी.एल.सी. की प्रमाणित दरें आवासीय अभियंता के माध्यम से दिनांक 05.12.13 को प्राप्त हुई जिसमें डी.एल.सी. दरें प्रति बीघा निम्न प्रकार दर्शायी गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग से लगवा खसरा नम्बर	**राष्ट्रीय राजमार्ग से लगवा खसरा नम्बर को छोड़कर 500 मीटर तक**		**राष्ट्रीय राजमार्ग से लगवा खसरा नम्बर को छोड़कर 500 मीटर तक सम्पर्क सड़क से लगवा**	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
18,75,000/– रू. प्रति बीघा	10,00,000 /– रू. प्रति बीघा	9,68,750/– रू. प्रति बीघा	10,00,000 /– रू. प्रति बीघा + 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 2,00,000/– =12,00,000/– रू. प्रति बीघा	9,68,750/– रू. प्रति बीघा + 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 1,93,750/– =11,62,500/– रू. प्रति बीघा
74,132/– रू. प्रति एयर	39,537/– रू. प्रति एयर	38,301/– रू. प्रति एयर	47,444/– रू. प्रति एयर	45,962/– रू. प्रति एयर

आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, जयपुर ने पत्र दिनांक 05.12.13 एवं 02.01.14 द्वारा अवगत कराया है कि खसरा नं. 5398, 5350/12071, 5350/12072, 5637, 5638, 5639, 5640, 5666, 5670 एवं

5670/12074 राष्ट्रीय राजमार्ग से लगवा, खसरा नं. 5404, 5406, 5407, 5408, 5409/12267, 5409/12273, 5418 एवं 5419/12241 राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की परिधि में सम्पर्क सड़क पर स्थित है तथा शेष खसरे राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की परिधि में स्थित है।

अवाप्ताधीन कृषि भूमि के अन्तर्गत सिंचित/असिंचित श्रेणी की है तथा भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 23 में वर्णित अन्य दिग्दर्शकों के सन्दर्भित तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त भूमि के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से लगवा की 74,132/–, राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की परिधि में 38,301/– तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की परिधि में सम्पर्क सड़क से लगवा की 45,962/– रूपये प्रति एयर की दर से दिया जाना प्रस्तावित है। मुआवजा राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:–

वाद सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हैक्टेयर	नगद मुआवजा/ 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
7(16) 9/1	सिवायचक लगानी	5405 5466	0.09 0.21	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(16) 9/2	नगरपालिका, चाकसू	5525 5464 5465 5443 5656 5666 5637	0.13 0.65 0.04 0.09 0.07 0.13 0.35	0.48 है.–74,132 प्रति एयर	35,58,336
				0.98 है.–38,301 प्रति एयर	37,53,498
				भूमि कीमत	73,11,834
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	73,11,834
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	21,93,550
				योग अ+ब	**95,05,384**
7(16) 9/3	मजीद, पिता अब्दुल्ला खां हि. 1/12, भूरी पत्नी गुलशेर खां, दिलशाद पिता गुलशेर खां हि. 1/12 ना.बा. संरक्षक भूरी माता खुद बिलारहन आलमशेर खां पुत्र छोटे खां हि. 1/12, राहिन आई.सी. आई.सी. आई. बैंक शाखा जयपुर मूर्तहीन जाति मुसलमान।	5419	3.27 –2.45 0.82	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	31,40,682
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	31,40,682
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	9,42,205
				योग अ+ब	**40,82,887**

नोटः– माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13414/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अजीज, शहजाद पिता अब्दुल्ला खां हि. 2/12, मसीद खां पुत्र महताब खां हि. 1/3, बुन्दु खां पुत्र अब्दुल खां हि. 1/4 कुल प्रभावित हिस्सा 2.45 हैक्टेयर को अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

वाद सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हैक्टेयर	नगद मुआवजा/ 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
7(16) 9/4	मजीद, पिता अब्दुल्ला खां हि. 1/12, कल्लू खां पुत्र नजीर खां हि. 1/12, भूरी पत्नी गुलशेर, कल्लू खां, दिलशाद पिता गुलशेर खां हि. 1/12, बिलारहन मुन्नी बेगम पत्नी बुन्दु खां हि. 2340/50100 बशीर खां पुत्र छोटे खां हि. 1835/50100 जाति मुसलमानमूर्तहीन। आलमशेर खां पुत्र छोटे खां हि. 1/12 राहिन आई.सी.आई. सी.आई. जयपुर मूर्तहीन जाति मुसलमान सा. देह खातेदार।	5420 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441	0.18 0.17 0.17 0.31 0.14 0.21 0.20 0.21 0.31 0.16 0.18 0.06 0.09 0.08 0.19 0.19 0.10 0.11	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	80,04,909
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	80,04,909
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	24,01,473

		5442 5626 5631 5632 5634 5635 5636 5642 5643	0.11 0.90 0.27 0.24 0.07 0.09 0.03 0.15 0.09		
			5.01 **−2.92**	योग अ+ब	1,04,06,382
			2.09		

नोट:– माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 7812/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में डॉ. राशि अग्रवाल का हिस्सा 0.10 हैक्टे. एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13414/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अजीज, शहजाद पिता अब्दुल्ला खां हि. 2/12, मसीद खां पुत्र महताब खां हि. 1/3, बुन्दु खां पुत्र अब्दुल खां हि. 1/12 कुल प्रभावित हिस्सा 2.82 हैक्टेयर को अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

7(16) 9/5	आई.एस.एस. इंटरनेशनल लि. जरिए निदेशक महेश भारद्वाज	5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 7354/12079 5627 5628 5629 5630 5633 5641 5644 5645 5646	0.40 0.37 0.45 0.72 0.60 0.37 0.33 0.04 0.76 0.55 0.03 0.52 0.04 0.16 0.09 0.09 0.31 0.47 0.54 0.17	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।	
7(16) 9/6	चन्दालाल पुत्र लखरा जाति माली सा. देह	5524 6354/12080	0.94 0.10	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	39,83,304
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	39,83,304
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	11,94,991
				योग अ+ब	**51,78,295**
7(16) 9/7	प्रेमचन्द पुत्र मोतीलाल	5463	0.17	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	6,51,117
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	6,51,117
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	1,95,335
				योग अ+ब	**8,46,452**

7(16) 9/8	हुक्मचन्द पुत्र मोतीलाल जाति महाजन	5598 5622	0.80 0.42	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	46,72,722
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	46,72,722
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	14,01,817
				योग अ+ब	60,74,539
7(16) 9/9	ताराचन्द, प्रेमचन्द, हुकुमचन्द पि. मोतीलाल जाति महाजन हिस्सा बराबर खातेदार	5597	1.64	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	62,81,364
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	62,81,364
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	18,84,409
				योग अ+ब	81,65,773
7(16) 9/10	माधोसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह नि. 197, महाराणा प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर।	5621	0.60	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।	
7(16) 9/11	रामधन पुत्र जगदीश नारायण माली 3/5 नत्थू पुत्र बजीर खाँ 1/5, यूसुफ, याकूब, मंजूर पि. अब्दुला 1/5 नामा. सं. 285 दिनांक 10.01.01	5350/12072	0.21	74,132 प्रति एयर भूमि कीमत	15,56,772
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	15,56,772
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	4,67,032
				योग अ+ब	20,23,804
7(16) 9/12	भूरी पत्नी गुलशेर खां हि. 1/25, शाहिद अली पुत्र खुर्शीद अली हि. 1/25, मुन्ना पत्नि अब्दुल मजीद हि. 4/25 जाति मुसलमान सा. देह बृजमोहन शर्मा पुत्र मुन्नालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण हि. 133/82000 नि. ए-2 आजाद नगर टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर व श्रीमती अनोखी देवी पत्नि रामेश्वर हि. 1387/82000 जाति महाजन सा. देह	5423 5424	0.39 0.43	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	13,40,535
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
			0.82 **–0.47** **0.35**	अ	13,40,535
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	4,02,161
				योग अ+ब	17,42,696

नोटः–माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 13416/2012 के अन्तर्गत दिनांक 1.8.13 को पारित निर्णय में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः रहीसा बानो पत्नी सदीक खां व नफीसा बानो पत्नि चांद खां हि. 1/5 वकीला पत्नी शहजाद हि. 4/25, श्रीमती अनोखी देवी पत्नि रामेश्वर के हिस्से से क्रय श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री दिनेश जैन व श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री सुकुमाल जैन का हि. 120 वर्गमीटर, मुन्नी बेगम पत्नि बुन्दुखां हि. 1/5 कुल रकबा 0.47 हैक्टे. का अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

7(16) 9/13	इस्लाम हुसैन उम्र 15 साल पुत्र मदारी खां ना.बा. संरक्षक मदारी खां पुत्र खाजू खां हि. ब. हि. 1/3 जाति मुसलमान साकिन लुनियावास तह. सांगानेर	5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455	0.09 0.16 0.31 0.34 0.41 0.32 0.32 0.10 0.29 0.42 0.44 0.30	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	73,53,792
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	73,53,792
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	22,06,138

		5456	0.60	योग अ+ब	95,59,930
		5457 / 12076	0.13		
		5458	0.07		
		5459	0.08		
		5460	0.15		
		5461	0.40		
		5462	0.13		
		5623 / 12073	0.08		
		5624	0.06		
		5625	0.56		
			5.76		
			−3.84		
			1.92		

नोटः—माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B.C.W.P. 15827 / 2011 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.13 को पारित निर्णय में महेश कुमार पुत्र वैद प्रकाश गुप्ता का हि. 2/3 कुल रकबा 3.84 हैक्टे. में अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त की है। अतः अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

7(16) 9/14	भगवान सहाय रामनारायण गोपाल श्यामलाल पि. छोटू जाति माली सा. देह	5526 5527	1.52 0.20	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	65,87,772
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	65,87,772
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	19,76,332
				योग अ+ब	**85,64,104**
7(16) 9/15	राजेन्द्र पुत्र बसन्तलाल श्रीमती आशा पत्नि राजेन्द्र राहुल पुत्र राजेन्द्र जरिये बली राजेन्द्र जॉगिड रीशि पुत्र राजेन्द्र जॉगिड़ नि. जयपुर विनोद कुमार चिराती पुत्र जुगल किशोर द्वारिका डागा पुत्र रामकिशोर डागा नि. जयपुर अशोक गौड पुत्र नेमीचन्द गौड नि. जयपुर चन्द्रमोहन बिहानी पुत्र पन्नालाल शिवकान्त फतेहपुरिया पुत्र बनवारी लाल, कृष्णकान्त फतेहपुरिया पुत्र शिवनाथ, श्रीमती राजकुमारी बिहानी पत्नी चन्द्रमोहन नि. जयपुर हि. 1/4 मोहनलाल पि. रेवडमल हि. 1/4 जाति महाजन सा. जमवा रामगढ़ राजकुमार पुत्र दौलतराम हि. 1/4 नवदीप गुप्ता पुत्र राजकुमार हि. 1/4 जाति महाजन नि. ए–1, सेठी कॉलोनी, जयपुर।	5402	0.14	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	5,36,214
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	5,36,214
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	1,60,864
				योग अ+ब	**6,97,078**
7(16) 9/16	राममनोहर पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राहम्ण नि. 376, रामनगर शान्ति नगर, जयपुर।	5596 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653	0.04 0.26 0.37 0.51 0.30 0.32 0.04 0.51	38,301 प्रति एयर भूमि कीमत	90,00,735
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	90,00,735
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	27,00,221
				योग अ+ब	1,17,00,956

(16) /17	लोकेन्द्र अग्रवाल पुत्र वाई.पी. अग्रवाल नि. 37 कान्तिनगर, श्रीमती लीला अग्रवाल पत्नी जी.पी. अग्रवाल नि. 36, कान्ति नगर, जयपुर जितेन्द्र ढड्डा पुत्र पी.डी. ढड्डा नि. 209, हिमालया 109 बरली सी कर्ज रोड बरली मुम्बई 18, अमित गोयल पु.एन.के. गोयल जरिये वलि श्री ए.के. गोयल नरेश गोयल पु. सी. एम. गोयल नि. शोरूम 5 ट्रान्सपोर्ट नगर, जयपुर पारसमल लोढा पुत्र श्री बी. एन. लोढा नि. 7 वलि गार्डन म्यूजियम रोड, जयपुर ब.बहि. ब.	5406 5407	1.18 0.34	45,962 प्रति एयर भूमि कीमत तकमीना मण्डल अनुसार अ 30% अनिवार्य अवाप्ति ब **योग अ+ब**	69,86,224 – 69,86,224 20,95,867 **90,82,091**
7(16) 9/18	सुरेश कुमार पुत्र आसी सचेरी नि. 1701, मिडटाउन अपार्टमेण्ट केम्पाकोला कम्पाउण्ड बी.जी. खरे रोड वर्ली मुम्बई श्रीमती शशि जैन पत्नि एम.के.जैन नि. 2472 रामगंज, जयपुर हि. 1/2 सा. देह। श्री बहादुर सोनी पुत्र श्री श्यामलाल सोनी नि. 30–31, महेश कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर, नरेश कुमार पंजाबी पुत्र श्री टेकचन्द पंजाबी नि. आदर्श नगर, जयपुर हिस्सा 1/2	5403 5404	0.28 0.64	0.28–38301 प्रति एयर 0.64–45,962 प्रति एयर भूमि कीमत तकमीना मण्डल अनुसार अ 30% अनिवार्य अवाप्ति ब **योग अ+ब**	10,72,428 29,41,568 40,13,996 – 40,13,996 12,04,199 **52,18,195**
7(16) 9/19	श्रीमती शकुन्तला देवी धर्मपत्नी हंसराज व श्रीमती अनिता देवी धर्मपत्नि गोविन्द घीया, सा. देह 486, गोविन्द राजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।	5638 5639 5640	0.04 0.15 0.03	74,132 प्रति एयर भूमि कीमत तकमीना मण्डल अनुसार अ 30% अनिवार्य अवाप्ति ब **योग अ+ब**	16,30,904 – 16,30,904 4,89,271 **21,20,175**
7(16) 9/20	सार्वजनिक निर्माण विभाग	5350	7.04	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7(16) 9/21	सिंचाई विभाग	5457 5623 6354	0.40 0.83 0.80	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

जिन खातेदारों/हितधारियों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड का विकल्प दिया है उनको राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार अधिकतम 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में या उस योजना

में जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है, में ही आवंटन किया जा सकेगा। यदि अवाप्तुशदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवनों का मुआवजा अलग से देय नहीं होगा। उसी योजना में किन्हीं अन्य स्थान पर भूमि आवंटन किए जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा सम्बन्धित बी.एस.आर. से देय होगा। कुंआ वृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नहीं होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है जिसकी गणना तकमीना प्राप्त होने पर की जा सकेगी। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 1500, 500, 100 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ लेना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। साथ ही अवाप्ताधीन भूमि बाबत किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 13/1/14 को तैयार कर शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

(मधु रघुवंशी)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(16)न.वि.वि./3/06 जयपुर दिनांक 19.02.14 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन इस शर्त के अध्याधीन किया गया है कि नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी की नियुक्ति एवं वांछित अधिसूचायें/नियम जारी होने के उपरान्त, उक्त अवाप्ताधीन 34.68 हैक्टेयर भूमि के प्रतिकर का अवधारण नवीन अधिनियम के प्रतिकर निर्धारण करने सम्बंधी उपबंधो के तहत पुनः किया जावेगा और अवधारणा पश्चात देय प्रतिकर राशि में से अनुमोदन में निर्धारित की गयी प्रतिकर राशि कम करते हुए शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को नियमानुसार किया जा सकेगा। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 20/2/14 को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

20/2/14

(मधु रघुवंशी)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-ओ.एस.डी./न.वि.वि/14/1490

दिनांकः- 20-02-2014

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार चाकसू, जिला जयपुर।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

20/2/14

(मधु रघुवंशी)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर